न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–14 / 2016

1. मोहनसिंह पुत्र रत्तीराम
2. खुशीराम
3. हरीसिंह — पुत्रान कुप्पी
4. खूबीराम
5. उगन्ती बेवा रामजीत
6. रनवीर — पुत्रान रामजीत
7. दलवीर
8. लज्जावती पुत्री रामजीत

जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्टगण

बनाम

भगवत पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश विरूद्व तहसीलदार नदबई दिनांक 18.05.2016 बाबत् नामान्तकरण संख्या 1646 कस्बा नदबई–1 तहसील नदबई।

उपस्थितः–

1. श्री महाराजसिंह डागुर अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री कुलदीप सिंह अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 09.11.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1646 कस्बा नदबई–1 आदेश दिनांक 18.05.2016 द्वारा तहसीलदार नदबई प्रस्तुत किया गया है। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य विरूद्व है। अपील में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री की पालना में तहत न्यायालय ने विवादित नामान्तकरण स्वीकृत किया है उसकी पालना न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.06.2016 से दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्थगित कर दी गई है। इस प्रकार तहत न्यायालय का आदेश अपील न्यायालय के आदेश की अवहेलना में पारित होने के कारण शून्य व निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही नामान्तकरण विपक्षी से सजिश कर अपील में पारित स्थगन आदेश की तारीख से पीछे की तारीख में स्वीकृत होना दिखाया है क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.6.2016 तक कोई इस संबंध मे प्रार्थना पत्र टी.आई में अंकित नही किया है। उपखण्ड अधिकारी नदबई की कैफियत का नामान्तकरण के कॉलम न014 में जो पत्र क्रमांक 461 दिनांक 18.5.20169 की तारीख 18 के स्थान पर 10 अंकित कर संशोधित की गई है, जो कि तहत न्यायालय ने आदेश तहत में महत्वपूर्ण कांट–छांट कर स्टे से बचने के लिए गत तारीख में दिखाया है। अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तकरण एक संक्षिप्त व फाइनल प्रोसिडिंग है जो कि निर्णय व डिक्री के अन्तिम हो जाने के पश्चात् ही पारित किया जाना चाहिए। तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर आदेश दिया है जबकि दो माह की अवधि तक तो विचारण न्यायालय का ही स्थगन आदेश रखने का अधिकार क्षेत्र होता है और इस अवधि में इजराय को स्थगित रखना चाहिये। इस प्रकार तहत न्यायालय का आदेश कतई नियम विरूद्व होने के कारण काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.07.2016 को पटवारी हल्का से मिली उसके बाद दिनांक 26.7.2016 को उक्त आदेश की नकल मिली है व अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है। जानकारी होने के दिन से अपील अपीलार्थी अन्दर अवधि पेश है व धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। अन्त में अपीलान्टगण अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2016 को नामान्तकरण संख्या 1646 कि बिना अपीलान्टगण को सुने ही रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकार किया गया है व नामान्तकरण कार्यवाही में कांट–छांट कर पुरानी तारीखों में आदेश पारित किया गया है जबकि मान0राजस्व प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 28.06.2016 से उपखण्ड अधिकारी नदबई के द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.04.2016 की पालना को स्थगित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अवगत कराया है कि उक्त अपीलाधीन आदेश बैकडेट

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

में किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अतः नामान्तकरण आदेश दिनांक 18.05.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय दिनांक 07.04.2016 की पालना में डिक्री का अमल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय की डिक्री की पालना में मुताबिक आदेश अमल किया गया है जिसमें तहत न्यायालय का कोई नामान्तकरण आदेश नहीं है। जो कि न्यायालय के आदेश की पालना में किये अमल का आदेश अपील के योग्य नहीं है तथा अपील मेन्टेनेबल नही है। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय की डिक्री की पालना दिनांक 18.05.2016 को की गई है उस वक्त मान0राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का कोई स्थगन आदेश नही था। मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का स्थगन आदेश दिनांक 28.06.2016 को पारित किया गया है। जिससे यह कतई गलत है कि अमल स्थगन आदेश की अवमानना में किया है। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील डिक्री की पालना में अमल किया गया है जो कि डिक्री के निरस्त होने पर स्वतः निरस्त हो जावेगा। उक्त डिक्री के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में कार्यवाही जैरकार होने के कारण प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नही है। तहसीलदार नदबई द्वारा डिक्री का अमल दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में रकबा का डिक्री अनुसार विभाजन करके किया है। जिसकी अपीलान्ट को दिनांक 18.05.2016 को ही मौके पर जानकारी मिल जाने के कारण अपील म्याद बाहर पेश की है जो कि म्याद बाहर होने से निरस्तनीय है। अन्त में रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपील अपीलान्टगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षकारान अभिभाषक की गई बहस मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। तत्पश्चात् अपील का मैरिट पर निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 1646 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.0.2016 मय अपील की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है। रेस्पो0 द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 94 सत्यप्रति तथा उपखण्ड अधिकारी नदबई के डिक्री दिनांक 07.04.2016 व नकल ऑर्डरशीट की प्रति पेश की है। नामान्तकरण संख्या 1646 के अवलोकन से यह सिद्व है कि उक्त नामान्तकरण मुताबिक डिक्री इजराय की पालना में दर्ज किया गया है जो कि तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 18.05.2016 को मुताबिक डिक्री नामान्तकरण स्वीकार किया है। हमारे न्यायिक मत में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

नामान्तकरण मुताबिक डिक्री इजराय की पालना में रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने की स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नही पाते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाते है ।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर